



2026: AHC: 51602-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या – 4646/2026

ब्रह्मा चतुर्वेदी

.....याची (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 7 अन्य

.....प्रत्यर्थी (गण)

याची के अधिवक्ता : अंशु चौधरी

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याची के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. प्रारंभ में ही, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने इंगित किया है कि वर्तमान मामले में विवेचना पहले ही संपन्न हो चुकी है और अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध 15.12.2025 को आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है।
3. इसके विपरीत, याची के विद्वान अधिवक्ता उपरोक्त तथ्य का खंडन नहीं कर सके, किंतु उन्होंने कथन किया कि वह इस याचिका पर बल नहीं देना चाहते हैं और इसे वापस लेना चाहते हैं।
4. उपरोक्त कथन के आलोक में, यह रिट याचिका वापस ली गई मानकर खारिज की जाती है।

(न्यायमूर्ति अचल सचदेव) (न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



13 मार्च, 2026

के.यू.

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।